रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 1992/ज्येष्ठ 29, 1914
No. 275] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 1992/JYAISTHA 29, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 71/92-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 606(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1985 (1985 का 32) की धारा 49 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पहली अनुसूची : अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को उक्त पहले अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 348/26/92-टी. आर. यू]
राजीव शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 71/92-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 606(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 49 of the Finance Act, 1985 (32 of 1985), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the Fifth Schedule to the second mentioned Act from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 49 of the said second Act.

[F. No. 348/26/92-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 72/92-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 607(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 87/89-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(1) क्रम सं. 6 के सामने, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों "2700 रु. प्रति सेट" और "2900 रु. प्रति सेट" के स्थान पर क्रमशः "2300 रु. प्रति सेट" और "2500 रु. प्रति सेट" प्रविष्टियां रखी जायेंगी।

(2) क्रम सं. 6क के सामने, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों "1900 रु. प्रति सेट" और "2100 रु. प्रति सेट" के स्थान पर क्रमशः "1650 रु. प्रति सेट" और "1850 रु. प्रति सेट" प्रविष्टियां रखी जायेंगी।

(3) क्रम सं. 6ख के सामने, स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का 25 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जायेंगी।

(4) क्रम सं. 17 के सामने, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों "2000 रु. प्रति सेट" और "2250 रु. प्रति सेट" के स्थान पर क्रमशः "1750 रु. प्रति सेट" और "2000 रु. प्रति सेट प्रविष्टियां रखी जायेंगी।

(5) क्रम सं. 18 के सामने, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों "3000 रु. प्रति सेट", "3250 रु. प्रति सेट" और "4750 रु. प्रति सेट" के स्थान पर क्रमशः "2600 रु. प्रति सेट", "2850 रु. प्रति सेट" और "4350 रु. प्रति सेट" प्रविष्टियां रखी जायेंगी।

(6) क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18क	8528.00	55 सें.मी. से अधिक आकार के पर्दे वाले टेलिविजन रिसीवर (मोनोक्रोम से भिन्न)	मूल्य का 50 प्रतिशत"	

[फा. सं. 348/26/92-टी. आर. यू]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 72/92-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 87/89-Central Excises, dated the 1st March, 1989, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(i) against Sl.No. 6, in column (4), the entries "Rs. 2700 per set" and "Rs. 2900 per set", the entries "Rs. 2300 per set" and "Rs. 2500 per set" respectively shall be substituted ;

(ii) against Sl. No. 6A in column (4), for the entries "Rs. 1900 per set" and "Rs. 2100 per set" the entries "Rs. 1650 per set" and "Rs. 1850 per set" respectively shall be substituted ;

(iii) against Sl. No. 6B, for the entry in column (4), the entry "25 per cent advalorem" shall be substituted ;

(iv) against Sl. No. 17, in column (4), for the entries "Rs. 2000 per set" 'Rs. 2250 per set" and entries "Rs. 1750 per set" and "Rs. 2000 per set" respectively shall be substituted ;

(v) against Sl. No. 18, in column (4), for the entries "Rs. 3000 per set", "Rs. 3250 per set" and "Rs. 4750 per set, the entries "Rs. 2600 per set" "Rs. 2850 per set" and "Rs. 4350 per set", respectively shall be substituted ;

(vi) after Sl. No. 18 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18A.	8528.00	Television receivers (other then monochrome) of screen size exceeding 55 centimetres.	50% ad valorem".	

[F. No. 348/26/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून 1992

सं. 73/92-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 121/89—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियां "1500 रु. प्रति ट्यूब" और "1750 रु. प्रति ट्यूब" के स्थान पर क्रमशः "1250 रु. प्रति ट्यूब" और "1350 रु. प्रति ट्यूब" प्रविष्टियां रखी जायेंगी।

[फा. सं. 348/26/92-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 73/92-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 608(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 121/89-Central Excises, dated the 27th April, 1989, namely:—

In the said notification, in the Table annexed thereto, against S. No. 2 in column (4), for the entries "Rs. 1500 per tube" and "Rs. 1750 per tube", the entries "Rs. 1250 per tube" and "Rs. 1350 per tube" shall respectively be substituted.

[F. No. 348/26/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं० 74/92-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अधिसूचना सं. और तारीख</th><th>संशोधन</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>162/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986</td><td>उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—
(i) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td>"2क.</td><td>87.03</td><td>सभी माल</td><td>मूल्य का पचास प्रतिशत</td><td>—"</td></tr>
</table>
(ii) क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr>
<tr><td>"12क.</td><td>87.06</td><td>शीर्ष सं. 87.03 के मोटरयानों के लिए चेसिस जिनमें इंजन फिट किए गए हैं।</td><td>मूल्य का पचास प्रतिशत</td><td>—"</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>462/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 दिसंबर, 1986</td><td>उक्त अधिसूचना में, "मूल्य का 15%" शब्द और अंकों के स्थान पर "मूल्य का 10%" शब्द और अंक रखे जाएंगे।</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>257/88-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 सितंबर, 1988।</td><td>उक्त अधिसूचना में, "मूल्य का 15%" शब्द और अंकों के स्थान पर "मूल्य का 10%" शब्द और अंक रखे जाएंगे।</td></tr>
</table>

[फा. सं. बी 25/./92-टी आर यू]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

No. 74/92-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

No.	Notifiction No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	162/86-Central Excises dated the 1st March, 1986.	In the Table annexed to the said notification— (i) after Sl. No. 2 and the entries relating thereto the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A	87.03	All goods	Fifty percent valorem	......"

(ii) after Sl. No. 12 and the entries roltiong thereto the following Sl. No. and ensios shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12A.	87.06	Chassis fitted with engines for the motor vehicles of heading No. 87.03	fifty percent ad valorem	.."

(2)	462/86- Central Excises, dated the 9th December, 1986	In the said notification, for the figurs and words "15% ad valorem" the figures and words "10% ad valorem" shall be substituted.
(3)	257/88-Central Excises, dated the 30th Septemer, 1988	In the said notification, for the figures and words "15% ad valorem" the figures and words "10% ad valorem" shall be substituted.

[F.No. B25/3/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 215/92-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 610(अ).--केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 28, 29, 30 या 39 के अंतर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रपुंज औषधियों के विनिर्माण के लिए किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जितना मूल्य के 35 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता ने इस आशय का एक वचनबंध दिया हो कि--

(क) उक्त आयातित माल का उपयोग पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) विनिर्माता पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त और प्रयुक्त उक्त आयातित माल का लेखा सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखेगा :

(ग) वह आयातित माल की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, विनिर्माण के स्थान के परिसर में आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखा का उद्धरण प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, उपरोक्त (क), (ख), या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा, जो यदि उसमें अन्तर्विष्ट छूट न होती तो उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के बराबर हो।

परन्तु इस अधिसूचना की किसी बात का इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क में समय-समय पर भारत सरकार की किसी अन्य अधिसूचना के अधीन दी गई छूट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी

क्र.सं.	प्रपुंज औषधि का नाम (जिसके अन्तर्गत उसका लवण और एस्टर है)	माल
(1)	(2)	(3)
1.	6-ए पी ए	पेनीसिलिन जी एमाईड/एसाइलेज
2.	7-ए. डी. सी. ए.	1. पेनीसिलिन जी एमीडेज/एसालेज 1. डाइ मिथाइल डाइ क्लोरो सिलेन 1. हैक्सामिथाइल डाइसिलाजेन 4. ट्राइ मिथाइल क्लोरोसिलेन
3.	एलबेन्डाजोल	1. मिथाइल क्लोरोफारमेट 2 एन प्रोपाइल मरकप्टन
4.	अल प्राजोलम	1. 7-क्लोरो 5 फिनाइल- 2 थायोनो 2, 3 डाइ हाइड्रो 1एच-1, 4-बेंजो डायाजेपिन 2. एसिटाइल हाइड्राजाइड
5.	एस्टीमोजोल	1. 4-अमीनो-एन-कारबिथोक्सी पिपरीडीन 2. पी-फ्लुओरोबेन्जाइल ब्रोमाइड या पी-फ्लुओरोबेंजाइल क्लोराइड या पी-फ्लुओरो टॉलुइन 3. 2-(4-मिथॉक्सी फिनियाइल) इथाइल मिथेन सल्फोनेट या 4-मिथॉक्सी-फिनियाइल ब्रोमाइड या पेरामिथॉक्सी फिनाइल इथाइल अमीन। 1-अमीनो-2-(मिथॉक्सी फिनाइल) इथेन या पी मिथोक्सी फिनाइल इथाइल अल्कोहाल 4 हाइड्रॉक्सिल अमान एच सी एल
6.	एटीनोलोल	1. एपीक्लोरहाइड्रिन 2 आइसोप्रोपाइल अमीन
7.	एजीलास्टीन/एजेलस्टीन	एन-ब्रोमो सक्सीनीमाइड
8.	बेक्लोमिथासोन	1. प्रोपीयोनिक एनहाइड्राइड 2. एन-क्लोरोसक्सिनिमाइड
9.	बिटामीथासोन	1. एन-ब्रोमो/क्लोरो सक्सिनीमाइड 2. 1, 3 डाइब्रोमो 5, 5-डाइमिथाइल हाइडेंटाइन (डामनटिन) 3. प्रोपियोनिक एन हाइड्राइड
10.	सिसाप्रीक्स	पिरिडिन-2-एल्डीहाइड
11.	ब्रोमहेक्सिन	1. ब्रोमिन 2. एन-साइक्लोहेक्जाइल मिथाइलअमीन एन-मिथाइलसाइक्लो हेक्साइल अमीन
12	ब्रोनोपोल	नाइट्रोमिथेन
13.	ब्यूटोरफेनोल	1. मिथाइल विनाइल कीटोन 2 ट्रायमिथो ब्युटाइल क्लोराइड 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ब्रोमाइड

1	2	3
14.	बसपीरोन	1. पिरामिडील पिपराजीन 2. 3, 3-टेट्रामिथाइलीन ग्लुटारिक एमाइड 3. 1, 4 डाइब्रोमोब्युटेन या साइक्लोपेन्टानोन 4 2-पेन्टानोल
15.	केप्टोप्रिल	1. मिथाएक्रीलीक एसीड 2. थायोएसिटिक एसीड 3. डाइसाक्लोहेक्साइलामीन 4 डी एल-3-बेंजोइल-मरक्पटो-2-मिथाइल प्रोपियोनिक एसीड और एल-प्रोलिन या एल-प्रोलिन-3-एसीटाइल थियो-2-मिथाइल-पोपियोनामाइड
16.	कारबामाजीपीन	1. 2 फ्लोरोमिथाइल नाइट्रो बेंजीन/2-नाइट्रो बेन्जाइल क्लोराइड 2. मिथाइल थायो यूरीया 3 10, 11-डाइहाइड्रो-5 एच-डाबेन्ज (बी, एफ) एजीपीन या इमीनोडस्टीलबिन या डाइबेंज (बी, एफ) एजीपीन या इमीनो डाइ बेंजाइल
17.	सेफाक्लोर	1. पोली-4-वीनाइल पाइराडीन 2. ट्राइ फिनाइल फास्फीन
18.	सेफाड्रोक्सिल/सेफाड्रोक्सिल	डाइमिथाइल डाइक्लोरो मिथेन
19.	सेफाटोक्जाइम	1. 7-ऐ सी ऐ 2. ट्राइफिनाइल फोस्फीन
20	सेफाट्राइग्राक्सोन	1. 7– ऐ सी ऐ 2 ट्राइफिनाइल फोस्फीन
21.	क्लोरप्रोमाजीन	1. 3–अनीलीना क्लोरोबेंजीन 2 3-डाइइथाइलअमीनो-1-क्लोरोप्रोपेन
22	क्लोरप्रोपामाइड	एन-प्रोपाइलअमीन
23	सिप्रोफ्लोक्सासिन	1 2, 4-डाइक्लोरोफ्लोरो बेंजीन या 3-क्लोरो-4-फ्लोरोएनीलिन 2. साइक्लोप्रोपाइल अमीन 3. डाइमिथाइल/इथाइल आर्थोफोरमेट 4. पिपराजीन निर्जल
24.	क्लोक्सासीलीन	1. हाइड्रोक्सिल अमीन सल्फेट 2. 3–(2-क्लोरोफिनाइल)–5-मिथाइल-4-आइसो एक्सोलिल कारबोक्सिलिक एसीड या 3–(2-क्लोरोफिनाइल)–5–मिथाइल आइसो एक्साजोलिल-4–कारबोनिल क्लोराइड (सी. आइ. एम. सी. क्लोराइड)
25.	क्रोटामिटोन	1 क्रोटोनिक अम्ल 2. एन-इथाइल-ओ-टोल्युइडीन
26.	डेनाजोल	हाइड्रोक्सिल अमीन एच सी एल
27.	डेक्स्ट्रोप्रोपक्सीफीन	1 एल-टारटरिक अम्ल/डेक्स्ट्रोटारटरिक अम्ल/डी-टारटरिक अम्ल/(+)—टारटरिक अम्ल या डी-केम्फर सल्फोनिक अम्ल 2. प्रोपीयोफिनोन
28.	डेक्लोफेनक	1 डाइक्लोरो एनीलिन 2. 2–इन्डोलिनोन 3. ओ-क्लोरोफिनाइल एसिटिक अम्ल 4. ब्रोमोबेन्जीन
29.	डाइहाइड्रालाजीन	थैलोडाइनाइट्राइल
30.	डाइलोक्सिनाइड	1. मेटोल 2. डाइक्लोरो एसिटाइल क्लोराइड
31.	डिल्टीयाजेम	1. पी–एनिसेल्डीहाइड 2. डी (+) अल्फा फिनाइलइथाइलामीन
32.	डाइफिनाइल पिपरीडीनो इथाइल एसेटामाइड	1. डाइफिनाइल एसीटोमाइड 2. 1-(2-क्लोरोइथाइल) पाइपरीडीन एच सी एल

1	2	3
33.	डाइफिनाइल पाइरालिन	1 एन-मिथाइल पराइपरिडिन-4-ओल 2. डाइफेनमिथाइल ब्रोमाइड
34.	डाइसोपाइरामाइड	2—क्लोरो पाइरिडिन
35.	डोमपेरिडोन	1. 4-अमीनो-एन-कारबीथोक्सी पिपरीडोन 2. 2, 4-डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन
36.	इकानोजोल नाइट्रेट	इमिडाजोल
37.	इनलाप्रिल	एन—[(1—S इथॉक्सि कारबोनिल-3-फिनाइल) प्रोपाइल] एलानिन
38.	इटोपोमाइड	1. बेंजाइल/क्लोरो फोर्मेट 2. ट्राईब्यूटीलिन ऑक्साइड
39.	फेमोटीडीन	1. 1, 3—डाइक्लोरो एसीटोन 2. 3—क्लोरो प्रोपियोनाइट्राइल
40.	फलुओजेटीन	1. 2-क्लोरोप्रिमिडिन 2. 4—क्लोरोब्युट्रोनाइट्राइल
41	फ्लरबाइप्रोफेन	2-4 डाइ फ्लुओरो नाइट्रोबेन्जीन
42.	फ्रुसीमाइड/फरसीमाइड	1. 2, 4-डाइक्लोरो टोल्युइन या 2, 4-डाइक्लोरो बेन्जोइक अम्ल या 2, 4-डाइक्लोरो-5-सल्फामिल बेन्जोइक अम्ल 2. फरफ्युराइलामिन
43.	फूराजोलिडोन	निटाहाइड्रोक्सि इथाइल हाइड्राजीन
44.	जेमफिब्रोजिल	2, 2—डाइमिथाइल-5-(2, 5—डाइजिलोक्साइल) प्रोपिल ब्रोमाइड
45.	इबुप्रोफेन	1. 2-क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल 2. नियो-पेन्टाइल-ग्लाइकोल
46	इमिप्रेमाइन	1. इमीनोडाइबेन्जाइल 2. एन, एन-डाइमिथाइल एमीनो प्रोपाइल क्लोराइड एच सी. एल.
47.	आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड	1. 2-डाइ आइसो प्रोपाइल अमीनो इथानोल 2. डाइफिनाइल एसीटोनाइट्राइल
48.	लोपरामाइड	1. एन-कारबेथोक्सि-4-पिपरीडोन 2. एन-एसील-4-ओक्सोपिपरीडोन
49.	मेड्रोक्सिप्रोजेस्टेरोन	1. 7—एसिटोएसिटोक्सी प्रोजेस्टेरोन
50.	मेटाप्रोटेरेनॉल	1. 3, 5—डाइ एसिटोक्सि एसिटो फिनोन या 3, 5—डाइ हाइड्रोक्सि एसिटो-फिनोन या 3, 5—बेन्जिलोक्सि एसिटोफिनोन 2. आइसोप्रोपाइलामाइन
51.	मेटोप्रोलोल	1. मेथोक्सिथिल इपोक्सि प्रोपक्सि बेंजीन 2. आइसो प्रोपाइलामाइन
52.	माइकोनाजोल	2, 4—डाइक्लोरोफेनेसिल क्लोराइड
53.	मौरान्टेल सिट्रेट	3—मिथाइल थायोफीन
54.	नेप्रोक्सिन	1. डाइमिथलामाइन सल्फेट 2. एल-टारटरिक एसिड/डेक्स्ट्रो-टारटारिक एसिड/डी-टारटरिक एसिड (+)—टारटारिक एसिड
55.	नाइट्रोक्साजेलिन एच. सी. एल.	ओर्थो एमीनो फिनोल
56.	नोरफ्लोक्सासिन	निर्जल पिपरिजिन
57.	ओक्सप्रेनोलोल एच सी. एल	पाइरोकेटीकोल
58.	पेफ्लोक्सेसिन	1. 3-क्लोरो-4-फ्लुओरो एनीलीन 2. पिपराजिन निर्जल
59.	प्रोकेन एच. सी. एल.	पी-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल
60.	प्रोक्लोरोपेराजीन	1 2-क्लोरोफेनोथियाजीन 2. 4-मिथाइल-1-(3-क्लोरोफिनाइल) पिपराजीन 2 एच सी. एल या, 1-क्लोरो-3-ब्रोमो प्रोपेन और एन-मिथाइल पिपराजिन

1	2	3
61.	प्रोमेथाजीन	1. डाइ मिथाइल अमीनो-2-क्लोरोप्रोपेन एच.सी. एल.
62.	प्रोपेन्थीलीन	1. डाइ-आइसोप्रोपिलमिथाइनो एथानोल 2. जेनथेनोइक अम्ल
63.	प्रोप्रेनोलोल	अल्फा नेपथोल
64.	पाइराण्टेल	1. थायोफीन 2. थायोएसीटामाइड
65.	पाइराजीनामाइड	ओर्थो फिनाइलने डिमाइड या 2-साइनोपाइराजीन
66.	सोडियम क्रोमोग्लाइकेट	1. 2, 6—डाइहाइड्रोक्सि एसीटोफिनोन
67.	स्टेनोजोलोल	17-अल्फामिथाइल एन्ड्रोस्टे निडियोल
68.	सुक्रालफेट	पाइरिडिन या बिटा-पिकोलिन
69.	सल्फामेथोक्सोल	1. कैलसियम साइनामाइड 2. ब्यूटीनोल थोल 55 प्रतिशत
70.	टीकारसीलीन	3-थाइएनाइल मेलोनिक अम्ल
71.	टोलमेटीन	एन-मिथाइल-3-हुल्युइडिन
72.	ट्राइमिथोप्रिम	वेनिलिन
73.	वेरापामिल	वेनिलिन
74.	विटामिन ई (अल्फा टोकोफिरोल)	2, 3, 6—ट्राइमिथाइल फेनोल

[फा. सं. 346/21/92-डी. आर. यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

No. 215/92-CUSTOMS

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within Chapter 28, 29, 30 or 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for manufacture of bulk drugs (including salts and esters thereof) specified in column (2) of the said Table, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 35 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that —

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained by the manufacturer in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the said manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months from the date of importation or such extended period as the Assistant Collector may allow; and

(d) he shall pay on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) and (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force from the duty of customs specified in the said Schedule in respect of goods referred to in this notification.

THE TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug (including its Salts & Esters)	Goods
(1)	(2)	(3)
1.	6-APA	Pencillin G Amidase/Acylase
2.	7-ADCA	1. Pencillin G Amidase/Acylase 2. Dimethyl Dichloro Silane 3. Hexamethyl Disila zane 4. Trimethyl Chloro Silane
3.	Albendazole	1. Methyl chloroformate 2. N-Propyl Mercaptan
4.	Alprazolam	1. 7-Chloro-5-phenyl-2-thiono-2, 3-dihydro-IH-1, 4-benzodiazepin 2. Acetyl hydrazide
5.	Astemizol	1. 4-Amino-N-Carbethoxy 2. p-Fluorobenzyl bromide or p-Flurobenzyl chloride or p-Fluro toluene 3. 2-(4-metnoxyphenethyl) ethyl methane sulphonate or 4-Methoxyphenethyl bromide or p-Methoxy Phenylethylamine/ 1-Amino-2-(methoxyphenyl) ethane or p-Methoxy Phenylethylalcohol 4. Hydroxylamine HCl
6.	Atenolol	1. Epichlorhydrin 2. Isopropylamine
7.	Azelastin/Azeptin	N-Bromosuccinimide
8.	Beclomethasone	1. Propionic anhydride 2. N-chlorosuccinimide
9.	Betamethasone	1. N-Bromo/chloro Succinimide 2. 1,3-Dibromo-5, 5-dimethyl hydantoin (Bromantin) 3. Propionic anhydride
10.	Bisacodyl	Pyridin-2-Aldelyde
11.	Bromhexine	1. Bromine 2. N-Cyclohexylmethylamine or N-Methylcyclohexylamine
12.	Bronopol	Nitromethane
13.	Buprinorphine	1. Methyl Vinyl Ketone 2. Tertiary Butyl chloride 3. Cyclopropylmethylbromide
14.	Buspirone	1. Pyrimidyl Piperazine 2. 3, 3-Tetramethylene Glutaric Acid 3. 1, 4-Dibromobutane or Cyclopentanone 4. 2-Pentanol

(1)	(2)	(3)
15.	Captopril	1. Methacrylic acid 2. Thioacetic acid 3. Dicyclohexylamine 4. DL-3-Benzoyl Mercapto-2-Methyl-propionic acid and L-Proline or L-Proline-3-acetyl thio-2-methyl-propionamide
16.	Carbamazepine	1. 2-Chloromethyl nitrobenzene/ 2-Nitrobenzyl chloride 2. Methyl thiourea 3. 10, 11-dihydro-5H-dibenz (b, f)azepine or Iminostilbene or Dibenz (b, f)azepine or iminodibenzyl
17.	Cefaclor	1. Poly-4-Vinyl Pyridine 2. Triphenyl Phosphine
18.	Cefadroxil/Cephadroxyl	Dimethyl Dichloro Silane
19.	Cefatoxime	1. 7-ACA 2. Triphenyl Phosphine
20.	Ceftriaxone	1. 7-ACA 2 Triphenyl Phosphine
21.	Chlorpromazine	1. 3-Anilino chlorobenzene 2. 3-Diethylamino-1-chloropropane
22.	Chlorpropamide	n-Propylamine
23.	Ciprofloxacin	1. 2,4-Dichloro Fluorobenzene or 3-Chloro-4-Fluoro aniline 2. Cyclopropylamine 3. Tri Methyl/Etyhl Orthoformate 4. Piperazine Anhydrous
24.	Cloxacillin	1. Hydroxylamine Sulphate 2. 3-(2-Chlorophenyl)-5-Methyl-4-Isoxazolyl Carboxylic Acid or 3-(2-Chlorophenyl)-5-Methyl Isoxazolyl-4-Carbonyl Chloride (CIMC Chloride)
25.	Crotamiton	1. Crotonic Acid 2. N-Ethyl-o-Toluidine
26.	Danazol	Hydroxylamine HCL
27.	Dextropropoxyphene	1. L-Tartaric acid/Dextro Tartaric acid/d-Tartaric Acid/ (+)-Tartaric Acid or D-Camphor sulphonic Acid 2. Propiophenone
28.	Diclofanc	1. Dichloroaniline 2. 2-Indolinone 3. O-Chloro phenyl acetic acid 4. Bromobenzene

(1)	(2)	(3)
29.	Dihydralazine	Phthalodinitrile
30	Diloxanide	1. Metol 2. Dichloroacetyl chloride
31.	Diltiazem	1. p-Anisaldehyde 2. D(+) Alpha Phenylethylamine
32.	Diphenyl piperidino-ethyl Acetamide	1. Diphenylacetonitrile 2. 1-(2-Chloroethyl) piperidine HCL
33.	Diphenyl Pyraline	1. N-Methylpiperidine-4-ol 2. Diphenmethyl bromide
34.	Disopyramide	2-Chloropyridine
35.	Domperidone	1. 4-Amino-N-Carbethoxy piperidine 2. 2,4-Dichloro nitro benzene
36.	Econazol Nitrate	Imidazole
37.	Enalapril	N-(1-S-Ethoxy Carbanoyl -3-phenyl) propyl}Alanine
38.	Etoposide	1. Benzylchloroformate 2. Tributylin Oxide
39	Famotidine	1. 1,3-Dichloro Acetone 2. 3-Chloro Propionitrile
40.	Fluxetin	1. 2-Chloro Pyrimidine 2. 4-Chloro Butyronitrile
41.	Fluribiprofen	2,4-Difluoro nitrobenzene
42.	Frusemide/Fursemide	1. 2,4-Dichloro toluene or 2,4-Dichloro benzoic Acid or 2,4-Dichloro-5-sulfamoyl benzoic acid 2. Furfury lamine
43.	Furazolidone	Betahydroxyethylhydrazine
44.	Gemfibrozil	2,2-Dimethyl-5-(2,5-Xylyloxy) -propyl bromide
45.	Ibuprofen	1. 2-Chloropropionic acid 2. Neo-pentyl glycol
46.	Imipramine	1. Iminodibenzyl 2. N, N-Dimethylamino Propylchloride HCL
47.	Isopropamide Iodide	1. 2-Di-isopropylamino ethanol 2. Diphenylacetonitrile
48.	Loperamide	1. N-carbethoxy-1-piperiodone 2. N-Acyl-4-oxo-piperidine
49.	Medroxyprogesterone	17. Acetoxyprogesterone
50.	Metaproterenol	1. 3,5-Diacetoxy acetophenone or 3,5-Dihydroxy acetophenone or 3,5-Benzyloxy acetophenone 2. Isopropylamine

(1)	(2)	(3)
51.	Metoprolol	1. Methoxyethyl epoxypropoxy benzene 2. Isopropylamine
52.	Miconazole	2,4-Dichlorophenacyl chloride
.	Morantel Citrate	3-Methyl Thiophene
.	Naproxen	1. Hydroxylamine Sulphate 2. L-Tartaric acid/Dextro Tartaric Acid/d-Tartaric Acid/() -Tartaric Acid
55.	Nitroxazepine HCl	Ortho Aminophenol
56.	Norfloxacin	Anhydrous Piperazine
57.	Oxprenolol HCl	Pyrocatechol
58.	Pefloxacin	1. 3-Chloro-4-Fluoro Aniline 2. Piperazine Anhydrous
59.	Procaine HCl	p-Nitrobenzoic Acid
60.	Prochlorperazine	1. 2-Chlorophenothiazine 2. 4-Methyl-1-(3-Chlorophenyl) Piperazine 2HCl or 1-Chloro-3-Bromopropane and N-Methyl Piperazine.
61.	Promethazine	1-Dimethylamino-2-Chloropropane HCl
62.	Propantheline	1. Di-isopropylamino ethanol 2. Xanthanoic Acid
63.	Propranolol	Alpha Naphthol
64.	Pyrantel	1. Thiophene 2. Thiocetamide
65.	Pyrazinamide	Ortho phenylenediamine or 2-Cyanopyrazine
66.	Sodium Cromoglycate	2,6-Dihydroxy Acetophenone
67.	Stanozolol	17-alpha-Methyl Androstenedial
68.	Sucralfate	Pyridine or Beta-Picoline
69.	Sulphamoxole	1. Calcium Cyanamide 2. Butinol Solution 55%
70.	Ticarcillin	3-Thionyl malonic acid
71.	Tolnaftate	N-Methyl-3-Toluidine
72.	Trimethorpim	Vanillin
73.	Verapamil	Vanillin
74.	Vitamin E (alpha Tocopherol)	2,3,6-Trimethyl Pehnol

[F.No. 346/21/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

Explanatory Notes : This notification extends a concessional rate of basic customs duty of 35% ad valorem to specified intermediates for the manufacture of specifid bulk drugs subject to certain conditions.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 216/92-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 611(अ)---केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रपुंज औषधियों (जिसके अन्तर्गत उनका लवण और एस्टर है) को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के 35 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	एसीक्लोविर
2.	ऐमीकासिन
3.	ऐमिओडरोन
4.	ऐमिट्रिप्टाईलाइन एच.सी.एल.
5.	एट्रोपाइन
6.	बेसिट्रेसिन जिंक
7.	बिकेम्पिसिलीन
8.	कैल्सियम पैंटोथिनेट और पैंथीनोल
9.	कैप्टोप्रिल
10.	कार्बामिजेपाइन
11.	कार्बेनीसिलीन सोडियम
12.	कार्बोनिक्सोलोन
13.	सिफाड्रॉक्सिल
14.	सिफाजोलाइन सोडियम
15.	क्लोरोप्रोमाजाइन
16.	सिमेटिडीन
17.	डाई प्रीडामोल
18.	डॉक्सासिक्लिन
19.	एर्गोमेट्रीन
20.	फ्लूसिनोलोन एसिटोनाइड
21.	ग्राईसियोफुलविन
22.	हैलोपेराडोल
23.	होमाट्रोपाइन
24.	हायोसिन
25.	लिंकोमाइसिन
26.	लिथियम कार्बोनेट
27.	नियोमाइसिन
28.	नाइट्रोजन मस्टर्ड
29.	नोरइथिस्टीरोन
30.	नोरजेस्ट्रेल
31.	निसटेटिन
32.	ऑक्सीथाजीन
33.	ऑक्सीफेड्रीन एच.सी.एल.
34.	पेंटाजोसिन
35.	फिनाइल एफ्रीन
36.	पिरोक्सीकाम
37.	पाइमोजाइड
38.	पोलीमिक्सीन-बी सल्फेट
39.	प्राइमाक्विन
40.	प्रोकार्बाजाइन
41.	पाइरीमिथामाईन
42.	पाइरीथायोक्सिन
43.	पाइरीथिलडोन
44.	सलाजोसल्फापाइरीडीन
45.	सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट
46.	सक्सीनिल कोलीन क्लोराइड
47.	सल्फाडीमिडीन
48.	सल्फामेथोपाइराजाईन
49.	ट्राईएमसिनोलोन
50.	ट्राइएमटेरीन
51.	ट्राईमीप्रामीन
52.	वेरापामिल

[फा. सं. 346/21/92-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 216/92-CUSTOMS

G.S.R. 611(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts bulk drugs (including salts and esters thereof), specified in column (2) of the Table annexed hereto, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon specified in the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of 35% ad valorem.

TABLE

Sl. No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Acyclovir
2.	Amikacin
3.	Amiodarone

1	2
4.	Amitriptyline HCl
5.	Atropine
6.	Bacitracin Zinc
7.	Becampicillin
8.	Calcium Pantothenate & Panthenol
9.	Captropril
10.	Carbamazepine
11.	Carbenicillin Sodium
12.	Carbenixolone
13.	Cefadroxil
14.	Cefazolin Sodium
15.	Chlorpromazine
16.	Cimetidine
17.	Dipyridamole
18.	Doxorubicin
19.	Egrometrine
20.	Flucinolone Acetonide
21.	Griseofulvin
22.	Haloperidol
23.	Homatropine
24.	Hyoscine
25.	Lincomycin
26.	Lithium Carbonate
27.	Neomycin
28.	Nitrogen Mustard
29.	Norethisterone
30.	Norgestrol
31.	Nystatin
32.	Oxethazaine
33.	Oxyfedrine HCl
34.	Pentazocin
35.	Phenyl Epherine
36.	Pilocarpine
37.	Pimozide
38.	Polymixin-B Sulphate
39.	Primaquine
40.	Procarbazine
41.	Pyrimethamine
42.	Pyrithioxine
43.	Pyrithyldione
44.	Salazosulphapyrine
45.	Sodium Stibogluconate
46.	Succinyl Choline Chloride
47.	Sulphadoxine
48.	Sulphamethopyrazine
49.	Triamcinolone
50.	Triamterene
51.	Trimipramine
52.	Verapamil

[F.No. 346/21/92-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं 217/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 612 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 166/92-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1992 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "मूल्य का 50 प्रतिशत" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मूल्य का 25 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[फा.सं. 346/21/92-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 217/92-CUSTOMS

G.S.R. 612(E). -In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 166/92-Customs, dated the 30th April, 1992, namely :—

In the said notification, for the figures and words "50 per cent ad valorem", the figures and words "25 per cent ad valorem" shall be substituted.

[F. No. 346/21/92-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 218/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 58/85-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "मूल्य का 20 प्रतिशत" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मूल्य का 10 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[फा.स. 354/26/92-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 218/92-CUSTOMS

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 58/85-Customs, dated the 17th March, 1985, namely :—

In the said notification, for the figures and words "20 per cent ad valorem", the figures and words "10 per cent ad valorem" shall be substituted.

[F. No. 354/26/92-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 219/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 614 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1985 (1985 का 32) की धारा 44 की उपधारा (3) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पहले वर्णित अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को उक्त पहले अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा.सं. 348/26/92-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 219/92-CUSTOMS

G.S.R. 614(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (3) of section 44 of the Finance Act, 1985 (32 of 1985), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the Fifth Schedule to the second mentioned, Act from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said second Act.

[F. No. 348/26/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 220/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 615 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 83/85 सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 को विखंडित करती है।

[फा.सं. 348/26/92-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 220/92-CUSTOMS

G.S.R. 615(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83/85-Customs, dated the 17th March, 1985.

[F. No. 348/26/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 221/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 616 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 1000 घन सेन्टीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को (जिनके अन्तर्गत अर्द्ध अवघात पैक और पूर्णतया अवघात पैक में ईंधन-दक्ष मोटर कारों के संघटक हैं) :

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जितना मूल्य के 40 प्रतिशत की दर पर गणित रकम से अधिक है ; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:

(i) इसमें अंतर्विष्ट छूट, 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटरकारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित केवल उन्हीं संघटकों को (जिनके अंतर्गत अर्द्ध अवघात पैक और पूर्णतया अवघात पैक में ईंधन-दक्ष मोटर कारों के संघटक हैं) लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों के अंतर्गत आते हैं,

(ii) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त संघटकों का (जिनके अंतर्गत अर्द्ध अवघात पैक और पूर्णतया अवघात पैक में ईंधन-दक्ष मोटरकारों के संघटकों हैं) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा और/उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयात किया गया है ;

(iii) आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत ब्यौरा दर्शित करने वाला प्रमाण-पत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री, उस डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी से प्रमाण-पत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को प्राप्त करने में असफलता विधिमान्य कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जायेंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है।

(iv) आयातकर्ता, ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से जिसकी अधिकारिता में ऐसी ईंधन-दक्ष मोटर कारों का विनिर्माण करने वाला कारखाना स्थित है, इस आशय का प्रमाण पत्र पेश करेगा कि ऐसे आयात किए गए संघटकों का, 1000 घन सेंटीमीटरों से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है।

सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कार" से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यंत्र अनुसंधान विकास स्थापन या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित आटोमोटिव रिसर्च ऐसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईंधन दक्षता परीक्षण कहा गया है), (उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है। इस संबंध में दिए गए प्रमाणपत्र को इसमें इसके पश्चात् ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है) कि ऐसी मोटर कार—

(i) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1400 घन सेंटीमीटर से अनधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति-लीटर पेट्रोल में कम से कम 18 किलोमीटर चलेगी;

(ii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 16 किलोमीटर चलेगी,

ऐसा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ईंधन-दक्षता परीक्षण—

(1) 1000 घन सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटी-मीटर से अनधिक ईंधन क्षमता वाली मोटरकार की दशा में, 375 किलोग्राम आयभार से किया जाएगा; और

(2) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 450 किलोग्राम आयभार से किया जाएगा;

स्पष्टीकरण—किसी मोटर कार की ईंधन क्षमता मापने के प्रयोजन के लिए, ईंधन का घन सेंटीमीटर उसके निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा (धारा : 2 के अनुसार)

(ख) ईंधन दक्षता परीक्षण ऐसे पैट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका आक्टेन 87 से अधिक नहीं है।

(ग) ईंधन-दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेबल परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्तित गति से किया जायेगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई तक और + 25° में, परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे;

(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण उत्पादन संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता द्वारा सहसा चुनी गई दो मोटरकारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक ईंधन दक्षता प्रमाण पत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा।

2 इस प्रकार दिया गया ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

3. जहां आयातकर्ता, इस अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार है किन्तु आयात के समय ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ नहीं है वहां ऐसा आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर को यह वचनबंध करेगा कि वह ऐसा ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र आठ सप्ताह की अवधि के भीतर या आठ सप्ताह से अनधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अनविष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अन्तर का संदाय करने का भी वचनबंध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है।

[फा.सं. बी-25/1/92-टी आर यू]
राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 221/92-CUSTOMS

GSR. 616 (E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts components (including components of fuel-efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) required for the manufacture of fuel efficient motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimeters, from—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the said First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

Subject to the following conditions, namely:—

(i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components (including components of fuel-efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) which are covered by lists certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development and to be required for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres;

(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said components (including components of fuel-efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) have been imported by such importer under a programme duly approved by the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) and the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres;

(iii) the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal;

(iv) the importer shall, within such period as he Assistant Collector of Customs may specify in this behalf produce a certificate from the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory manufacturing such fuel-efficient motor cars is situated to the effect that such imported components have been used in the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres.

Explanation.—For the purposes of this notification, "fuel efficient motor car in respect of motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres" means a motor car which is certified to run—

(i) not less than 18 kilometres per litre in the case of motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres;

(ii) not less than 16 kilometres per litre of petrol in the case of motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres;

by an officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (certificate issued in these regards hereafter referred to as the fuel efficiency certificate) on the basis of tests (hereafter referred to as the fuel efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra), or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra), having regard to the following, namely:—

(a) the fuel efficiency test shall be conducted—

(i) with a payload of 375 kilograms in the case of motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres;

(ii) with a payload of 450 kilograms in the case of motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres;

Explanation : For the purpose of measuring the engine capacity of a motor car, the cubic centimetre of the engine shall be rounded of to the nearest multiple of 10 (as per IS : 2);

(b) the fuel efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87;

(c) the fuel efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the test and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to plus 25 degree C ambient temperature;

(d) the fuel efficiency test shall be conducted on two motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel efficiency certificates.

2. The fuel-efficiency certificate so issued shall be valid for a period of one year from the date of issue.

3. Where an importer is entitled to exemption under this notification but is not able to produce a fuel-efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assistant Collector of Customs that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding eight weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation, if he fails to produce the fuel-efficiency certificate within the said period.

[F. No. B 25/4/92-TRV]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

संख्या 224/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले संघटक को जिनके अंतर्गत मोटरकारों के ऐसे संघटक हैं जो अर्ध नॉक डाउन पैक और पूर्णनॉक-डाउन पैक के रूप में हैं) जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं, जब

उनका आयात 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाले ईंधन दक्ष मोटरकारों के विनिर्माण के लिए किया जाए,—

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 40 प्रतिशत की दर से गणितित रकम से अधिक है और,

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से छूट देती है,

किन्तु शर्त यह है कि—

(i) इसमें अन्तर्विष्ट छूट, 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित केवल उन्हीं संघटकों को (जिनके अंतर्गत ईंधन दक्ष मोटरकारों के ऐसे संघटक हैं जो अर्ध नॉक-डाउन पैक और पूर्ण नॉक-डाउन पैक के रूप में है) लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों में अन्तर्गत आते हैं,

(ii) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का भाषय पेश करे कि उक्त संघटकों का (जिनके अन्तर्गत ईंधन-दक्ष मोटरकारों के ऐसे संघटक है जो अर्ध नॉक डाउन पैक और पूर्ण नॉक डाउन पैक के रूप में है), 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटरकारों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) और उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयात किया गया है,

(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करे कि—

(क) वह उक्त संघटकों का (जिनके अन्तर्गत ईंधन दक्ष मोटर कारों के ऐसे संघटक हैं जो अर्ध नॉक-डाउन पैक और पूर्ण नॉक डाउन पैक के रूप में हैं) उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए करेगा ।

(ख) उक्त संघटक पुर्जों का, जो उपरोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त और खपाई गई है, हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाएगा,

(ग) वह तीन मास की अवधि या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे विनिर्माण स्थान के परिसर में उक्त संघटक पुर्जों की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप विनिर्माता द्वारा यथा प्रमाणित ऐसे लेखा का उद्धरण प्रस्तुत करेगा, और

(घ) वह पूर्वोक्त (क), (ख), या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो यदि इसमें अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, उक्त आयातित मांग की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के बराबर है ।

(iv) आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसमें पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीयकरण की मात्रा के और पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीयकरण की वास्तविक मात्रा के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हों, तथा, यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई देशीकरण की मात्रा अनुमोदित कार्यक्रम द्वारा यथापेक्षित मात्रा से कम है तो आयातकर्ता उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग में संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीयकरण के लिए अपेक्षित मात्रा के प्राप्त किए जाने में असफलता के विधिमान्य कारण हैं और ऐसी असफलता आंशिक है तथा उसमें उक्त कारणों का भी उल्लेख किया गया हो।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटर कार की बाबत "ईंधन दक्ष मोटर कार" से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसकी बाबत, अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संगम, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि (इस संबंध में जारी किए गए प्रमाणपत्र को इसमें इसके पश्चात "ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र" कहा गया है)

(i) ऐसी मोटर कार 800 घन सेंटीमीटर से अनधिक की इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में प्रति लीटर 22 कि. मी. से अनधिक चलेगी

(ii) 800 घन सेंटीमीटर से अधिक की इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में प्रति लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर से अनधिक चलेगी; अर्थात् :—

(क) ईंधन दक्षता परीक्षण 300 किलोग्राम पेलोड से किया जाएगा

(ख) किसी मोटर कार की इंजन क्षमता मापने के प्रयोजन के लिए, इंजन का घन सेंटीमीटर 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जायगा (भा. मा. 2 के अनुसार)

(ग) ईंधन दक्षता परीक्षण ऐसे पैट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका ऑक्टेन केवल 87 से अधिक नहीं है; और

(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेवल परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्ती गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई और + 25° से. परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे।

(ङ) ईंधन-दक्षता परीक्षण ऐसी पांच मोटरकारों पर किया जाएगा जो उत्पादन संयंत्र से परीक्षण अभिकरण द्वारा यादृच्छिक चयन की जाएंगी और न्यूनतम परीक्षण-आंकड़े ईंधन दक्षता प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होंगे।

2. इस प्रकार जारी किया गया ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र ऐसे जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

3. यदि आयातकर्ता इस अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार है किन्तु आयात के समय वह कोई ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह सहायक सीमाशुल्क कलक्टर से वचनबंध करेगा कि वह ऐसा ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र आठ सप्ताह के भीतर या 8 सप्ताह से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अवधारित करे, और यदि उक्त अवधि के भीतर वह ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह यह भी वचनबंध करेगा कि वह ऐसी किसी रकम का संदाय करेगा जो, यदि उसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के बराबर है।

[फा. सं. बी 25/1/92-टी आर. यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 19th June, 1992

No. 222/92-CUSTOMS

G.S.R. 617(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts components (including components of motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) falling under the first schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of fuel-efficient motor car of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimeters, from—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon which is specified under the said First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(i) the examination contained herein shall be applicable only to those components (including components of fuel efficient motor cars in semi knocked down packs and completely knocked down packs) which are covered by lists certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development to be required for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimeters ;

(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said components (including components of fuel-efficient motor cars in semi knocked down packs and completely knocked down packs) have been imported by such importer under a programme duly approved by the Ministry of Industry (Department of Industrial Development and the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimeters ;

(iii) the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said components (including components of fuel-efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) shall be issued for the purpose specified above ;

(b) an account of the said component parts received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacture evidencing receipt of the said component parts in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and

that already paid at the time of importation ; and

(iv) the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indi-genisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal.

Explanation—For the purposes of this notification "fuel-efficient motor car" in respect of motor car of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimeters means a motor car which is certified to run—

(i) not less than 22 kilometres per litre in the case of motor car of engine capacity not exceeding 800 cubic centimetres ;

(ii) not less than 20 kilometres per litre of petrol in the case of motor car of engine capacity exceeding 800 cubic centimetres ;

by an officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (certificate issued in this regard hereafter referred to as the fuel efficiency certificate) on the basis of tests (hereinafter referred to as the fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra) or the Automotive Research Association of India Pune (Maharashtra), having regard to the following, namely :—

(a) the fuel efficiency test shall be conducted with a payload of 300 kilograms :

(b) for the purpose of measuring the engine capacity of a motor car, the cubic centimetres of the engine shall be rounded off to the nearest multiple of 10 (as per IS : 2) ;

(c) the fuel efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87 ;

(d) the fuel efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady seed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the test and the test figures shall be corrected to seal level altitude and to +25 eC ambient temperature ;

(e) the fuel efficiency test shall be conducted on two motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel efficiency certificates.

2. The fuel-efficiency certificate so issued shall be valid for a period of one year from the date of issue

3. Where an importer is entitled to exemption under this notification but is not able to produce a fuel efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assisttant Collector of Customs that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding eight weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation, if he fails to produce the fuel efficiency certificate within the said period.

[F. No. B-25|4|92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

संख्या 223/92-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 618(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ईंधन-दक्ष चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयानों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को (जिसके अन्तर्गत अर्द्ध तैयार हालत और पूर्ण रूप से बिना तैयार हालत में ईंधन-दक्ष चार पहिया क्षेत्र पार मोटर यानों के संघटक भी है) —

(क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा शुल्क से जितना मूल्य के 40 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

(i) इनमें अंतर्विष्ट छूट ईंधन-दक्ष चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयानों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित केवल उन्हीं संघटकों को (जिनके अंतर्गत अर्द्ध-तैयार हालत और पूर्ण रूप से बिना तैयार हालत में ईंधन-दक्ष चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयानों के संघटक भी है) लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों के अंतर्गत आते हैं;

(ii) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त संघटकों का ईंधन-दक्ष चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयानों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) और तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयात किया गया है; और

(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक बचनबंध देगा कि —

(क) उक्त आयातित संघटकों का उपयोग उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में प्राप्त और खपत किए गए उक्त आयातित संघटकों का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाएगा;

(ग) वह तीन मास की अवधि या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, विनिर्माण के स्थान की परिसरों में उक्त संघटकों की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखा का उद्धरण प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह उपरोक्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर ऐसी रकम का संदाय करेगा जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो उक्त

आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के बराबर हों ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ईंधन-दक्ष चार पहिया क्षेत्र पार मोटर यान" से —

(1) पैट्रोल चालित चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयान की दशा में, ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो प्रति लीटर पैट्रोल में 15 किलोमीटर से कम नहीं चलती है; और

(2) डीजल चालित चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयान की दशा में, ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो प्रति लीटर डीजल में 20 मिली मीटर से कम नहीं चलती है,

और जो अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वचालित क्षेत्र अनुसंधान संगम द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के उप सचिव के अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा तद्नुसार प्रमाणित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ईंधन दक्षता पर परीक्षण —

(1) पैट्रोल चालित चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयान की दशा में 500 किलोग्राम भारयोग से किया जाएगा; और

(2) डीजल चालित चार पहिया क्षेत्र पार मोटरयान की दशा में 500 किलोग्राम भारयोग से किया जाएगा

(ख) ईंधन-दक्षता परीक्षण, यथास्थिति, पैट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका आक्टेन लेवल 87 से अधिक नहीं है या ऐसे डीजल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका आक्टेन लेवल 42 है, और

(ग) ईंधन-दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेवल परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्ती गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई और + 25° से. परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे ।

[फा. सं. बी. 25/4/92-टी. आर. यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

No. 223/92-CUSTOMS

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts components (including components of fuel-efficient four-wheeled cross-country motor vehicles in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) required for the manufacture of fuel-efficient four-wheeled cross-country motor vehicles, from—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 per cent ad valorem ; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components (including components of fuel-efficient four wheeled cross-country motor vehicles in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) which are covered by lists certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development to be required for the manufacture of fuel-efficient four-wheeled cross-country motor vehicles.

(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said components have been imported by such importer under a programme duly approved by the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) and the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development for the manufacture of fuel-efficient four wheeled cross-country motor vehicles; and

(iii) importer shall furnish an undertaking to the effect that—

(a) the said components shall be used for the purpose specified above ;

(b) an account of the said components received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs ,

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said components in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow ; and

(d) he shall pay on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable or such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

Explanation.—For the purpose of this notification, "fuel-efficient four wheeled cross country motor vehicles" means—

(i) in the case of a petrol driven four-wheeled cross-country motor vehicle, a motor vehicle which runs not less than 15 kilometres per litre of petrol ; and

(ii) in the cases of a diesel driven four-wheeled cross-country motor vehicle, a motor vehicle which runs not less than 20 kilometres per litre of diesel,

and certified accordingly by an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) on the basis of the tests (hereinafter referred to as the fuel-efficiency test, carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra) or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra), having regard to the following, namely : —

(a) the fuel-efficiency test shall be conducted -

(i) with a pay load or 500 kilograms in the case of a petrol driven four-wheeled cross country motor vehicle ; and

(ii) with a pay load of 600 kilograms in the case of a diesel driven four wheeled cross-country motor vehicle ;

(b) the fuel-efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87 or diesel having a octane level of 42, as the case may be ; and

(c) the fuel-efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one

kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the tests and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to +25 degree ambient temperature.

[F. No B-25/4/92-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून 1992

सं. 224/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 619(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के ईंधन-दक्ष मोटर कार के संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल (कच्ची सामग्री से भिन्न) को,—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के 40 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(1) इसमें अंतर्विष्ट छूट ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए उक्त संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित केवल उसी माल (कच्ची सामग्री से भिन्न) को लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों के अंतर्गत आते हैं।

(2) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त माल (कच्ची सामग्री से भिन्न) का उक्त संघटकों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) और उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयात किया गया है; और

(3) आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करे कि—

(क) वह उक्त आयात किए गए माल का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए करेगा;

(ख) उक्त आयात किए गए माल का, जो उपरोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान पर प्राप्त और खपाया गया है, हिसाब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(ग) वह, तीन मास की अवधि या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, विनिर्माण स्थान के परिसर में उक्त आयात किए गए माल की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् प्रमाणित ऐसे लेखा का उद्धरण प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह, पूर्वोक्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के बराबर है।

(4) आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसमें पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीयकरण की मात्रा के और पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीयकरण की वास्तविक मात्रा के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हों तथा, यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई देशीयकरण की मात्रा अनुमोदित कार्यक्रम द्वारा यथापेक्षित मात्रा से कम है तो आयातकर्ता उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में सयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीयकरण के लिए अपेक्षित मात्रा के प्राप्त किए जाने में असफलता के विधिमान्य कारण हैं और ऐसी असफलता क्षमणीय है तथा उसमें उक्त कारणों का भी उल्लेख किया गया हो।

सारणी

क्र.सं.	संघटकों का वर्णन
(1)	(2)
1.	कार्बुरेटर्स
2.	आटो इलैक्ट्रीकल्स, अर्थात् :—
	(1) स्टार्टर मोटर
	(2) अल्टरनेटर/जनरेटर
	(3) वोल्टेज रेगुलेटर
	(4) वायरिंग हार्नेस
3.	स्टीयरिंग गियर समंजन जिसमें पंक्तियां ... स्टीयरिंग गियर स्टीयरिंग लिंकेज, टाई रॉड और ... समंजन भी हैं।
4.	क्लच समंजन
5.	ब्रेक समंजन
6.	वाइपर समंजन जिसमें वाइपर मोटर और वाशर मोटर समंजन हैं
7.	हैड लैम्प समंजन
8.	शाक एब्जार्बर
9.	गियर बाक्स
10.	डैस बोर्ड समंजन
11.	वायु सस्पेंशन समंजन
12.	पानी का पंप/थर्मोस्टेट
13.	मफलर
14.	प्रदूषण नियंत्रण के लिए आफ्टर बर्नर
15.	आटो बल्ब समंजन
16.	पंखा मोटर
17.	मैक फिरसन स्ट्रटस
18.	वितरक समंजन
19.	ईंधन/आयल पम्प

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ईंधन-दक्ष मोटरकार" से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जो अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्व-चालित यंत्र अनुसंधान

संगम द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा--

(1) 800 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटर कार की दशा में, प्रति लिटर पेट्रोल में कम से कम 22 किलोमीटर चलेगी।

(2) 800 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटर कार की दशा में, प्रति लिटर पेट्रोल से कम से कम 20 किलोमीटर चलेगी।

(3) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटर कार की दशा में, प्रति लिटर पेट्रोल से कम से कम 18 किलोमीटर चलेगी, और

(4) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटरकार की दशा में, प्रति लिटर पेट्रोल से कम से कम 16 किलोमीटर चलेगी। ऐसा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :--

(क) ईंधन दक्षता परीक्षण--

(1) 800 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली किसी मोटरकार की दशा में, 300 किलोग्राम भारयोग से किया जाएगा।

(2) 800 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 300 किलोग्राम भार योग से किया जाएगा;

(3) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अनधिक की इंजन क्षमता वाले मोटर कार की दशा में 375 किलोग्राम भार योग में किया जाएगा और

(4) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाले किसी मोटरकार की दशा में 450 किलोग्राम भारयोग से किया जाएगा।

(ख) किसी मोटर-कार की इंजन क्षमता के माप के प्रयोजनों के लिए इंजन का घन सेंटीमीटर 10 के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा (आई एस : 2 के अनुसार);

(ग) ईंधन दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका अक्टेन लेवल 87 से अधिक नहीं है;

(घ) ईंधन-दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेवल परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्तित गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई तक और + 25° सें. परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे।

(ङ) ईंधन दक्षता परीक्षण, उत्पादन पंक्ति से परीक्षण अभिकर्ता द्वारा सहसा चुनी गई दो मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा।

2. इस प्रकार दिया गया ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

3. जहां आयातकर्ता इस अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार है किन्तु आयात के समय ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र पेश करने में समर्थ नहीं है वहां ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर का यह वचनबन्ध करेगा कि वह ऐसा ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र आठ सप्ताह की अवधि के भीतर या आठ सप्ताह से अनधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अन्तर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अन्तर का संदाय करने का भी वचनबन्ध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र पेश करने में असफल रहता है।

[फा. सं. बी. 25/4/92 टी.आर. यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

No. 224/92-CUSTOMS

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods (other than raw materials) required for the manufacture of components of fuel-efficient motor cars of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from :—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Triff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) the exemption contained herein shall be applicable only to those goods (other than raw materials) which are covered by lists certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development to be required for the manufacture of the said components for use in the manufacture of fuel-efficient motor cars;

(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said goods (other than raw materials) have been imported by such importer under a programme duly approved by the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) and the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry for the manufacture of the said components;

(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that,—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported

goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation;

(iv) the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an Officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writting and that such failure is marginal.

TABLE

Sl. No.	Description of the components
(1)	(2)
1.	Carburettor.
2.	Auto electricals, namely:
	(i) Starter Motor
	(ii) Alternator/Generator
	(iii) Voltage Regulator
	(iv) Wiring Harness
3.	Steering gear assembly including collapsible and powered steering gear; steering linkage, tie rod ends and axle assembly.
4.	Clutch assemblies
5.	Brake assemblies
6.	Wiper assembly including wiper motors and washer motor assembly.
7.	Head lamp assembly
8.	Shock obsorber
9.	Gear box
10.	Dash board assemblies
11.	Air suspension assembly
12.	Water pump/thermostats
13.	Mufflers
14.	After burners for pollution control
15.	Auto bulb eassemblies
16.	Fan Motors
17.	Mac pherson struts
18.	Distributor Assembly
19.	Fuel/Oil Pumps

Explanation . For the purposes of this notification, "fuel-efficient motor car" means a motor car which is certified to turn—

(i) not less than 22 kilometrs per litre of petrol in the case of motor car of engine capacity not exceeding 800 cubic centimetres;

(ii) not less than 20 kilometres per litre of petrol in the case of motor car of engine capacity exceeding 800 cubic centimetres but not exceeding 1000 cubic centimetres;

(iii) not less than 18 kilometres per litre of petrol in the case of motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres; or

(iv) not less than 16 kilometres per litre of petrol in the case of motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres,

by an officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Certificate issued in this regard hereafter referred to the fuel-efficiency certificate) on the basis of tests (hereafter referred to as the fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra) or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra), having regard to the following, namely :—

(a) the fuel-efficiency test shall be conducted,—

(i) with a payload of 300 kilograms in the case of motor car of engine capacity not exceeding 800 cubic centimetres;

(ii) with a payload of 300 kilograms in the case of motor car of engine capacity exceeding 800 cubic centimetres but not exceeding 1000 cubic centimetres;

(iii) with a payload of 375 kilograms in the case of motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres;

(iv) with a payload of 450 kilograms in the case of motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres;

(b) for the purpose of measuring the engine capacity of a motor car, the cubic centimetre of the engine shall be rounded off to the nearest multiple of 10 (as per IS : 2);

(c) the fuel-efficiency tests shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87;

(d) the fuel-efficiency tests shall be carried out on a selected level test track at a study speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the tests and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to +25°C ambient temperature;

(e) the fuel-efficiency tests shall be conducted on two motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel-efficiency certificates.

2. The fuel-efficiency certificate so issued shall be valid for a period one year from the date of issue.

3. Where an importer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel-efficiency certificate at the time of importation such importer shall under

taken to the Assistant Collector on Customs that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding eight weeks as may be detrmined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation if he fails to produce the fuel-efficiency certificate within the said period.

[F. No. B-25/4/92-THU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 225/92-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 620(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, माल को (कच्ची सामग्री से भिन्न) जब इसका इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मोटरयानों के संघटकों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए:—

(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के 40 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्:—

(i) इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट ईंधन-दक्ष चार पहियों वाले क्षेत्र पार मोटरयानों के विनिर्माण के प्रयोग के लिए उक्त संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित केवल उसी माल (कच्ची सामग्री से भिन्न) को लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों के अंतर्गत आते हैं;

(ii) आयातकर्ता सीमा शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त माल (कच्ची सामग्री से भिन्न) का उक्त संघटकों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) और तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयात किया गया है, और

(iii) आयातकर्ता इस आशय का एक वचनबंध देगा कि—

(क) उक्त आयातित माल (कच्ची सामग्री से भिन्न) का उपयोग उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में प्राप्त और खपत किए गए उक्त आयातित माल का एक लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाएगा।

(ग) वह तीन मास की अवधि या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, विनिर्माण के स्थान की परिसरों में उक्त आयातित माल की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे लेखा का उद्धरण प्रस्तुत करेगा; और

(घ) वह उपरोक्त (क), (ख) या (ग) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, मांग किए जाने पर ऐसी रकम का संदाय करेगा जो यदि इसमें अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती तो उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के बराबर हो।

सारणी

क.सं.	संघटकों का वर्णन
(1)	(2)
1.	कारबोरेटर्स
2.	आटो इलैक्ट्रीकल्स, अर्थात्:—
	(i) स्टार्टर मोटर
	(ii) आल्टरनेटर/संयंत्र
	(iii) वोल्टेज रेगुलेटर
	(iv) वाइपर समुच्चय जिसके अंतर्गत वाइपर मोटर भी है
3.	स्टीयरिंग गियर समुच्चय जिसके अंतर्गत दूटवार और पावर स्टीयरिंग गियर; स्टीयरिंग कंधनी, टाई रॉड एण्ड्स और भुजी समुच्चय हैं।
4.	क्लच समुच्चय
5.	डैश बोर्ड समुच्चय
6.	इंजन
7.	वायु निलम्बन समुच्चय
8.	रिटार्डस (वैद्युत/द्रवचालित)
9.	जल पम्प/ताप स्थिरक
10.	पिस्टन समुच्चय
11.	प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिज्वालक
12.	वायु/तेल/ईंधन फिल्टर समुच्चय
13.	स्वचालित बल्ब समुच्चय
14.	पंखा मोटर
15.	मैक फैरसन स्ट्रटस
16.	वितरक समुच्चय

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "ईंधन-दक्ष चार पहियों वाले पार क्षेत्र मोटर यान" से,—

(i) किसी पैट्रोल चालित चार पहिए वाले पार क्षेत्र मोटर यान की दशा में, कोई ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो प्रति लीटर पैट्रोल में कम से कम 15 किलोमीटर चलेगी; और

(ii) किसी डीजल चालित चार पहिए वाले पार क्षेत्र मोटर यान की दशा में, कोई ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो प्रति लीटर डीजल में कम से कम 20 किलोमीटर चलेगी,

और जो अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संगम द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईंधन दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी

द्वारा तदनुसार प्रमाणित किए गए हैं, और जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ईंधन-दक्षता परीक्षण,

(i) पैट्रोल चालित चार पहियों वाले क्षेत्र पार मोटर यान की दशा में, 500 किलोग्राम भारयोग में किया जाएगा, और

(ii) डीजल चालित चार पहियों वाले क्षेत्र पार मोटर यान की दशा में, 600 किलोग्राम भारयोग से किया जाएगा ;

(ख) ईंधन दक्षता परीक्षण, यथास्थिति, ऐसे पैट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका ऑक्टेन लेवल 87 से अधिक नहीं है या ऐसे डीजल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका ऑक्टेन लेवल 42 है; और

(ग) ईंधन दक्षता परीक्षण किसी विशेष लेवल परीक्षण पथ पर कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की अपरिवर्ती गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई और + 25° सें परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे।

[फा. सं. बी 25/4/92—टी आर यू]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1992

NO. 225|92-CUSTOMS

G.S.R. 620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods (other than raw materials) when imported into India, for the manufacture of components of motor vehicles of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from,—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) the exemption contained in this notification shall be applicable only to those goods (other than raw materials) which are covered by lists certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development to be required for use in the manufacure of fuel-efficient four-wheeled cross-country motor vehicles;

(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said goods (other than raw materials) have been imported by such importer under a programme duly approved by the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) and the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development for the manufacture of the said components; and

(iii) the importer shall furnish an undertaking to the effect that,—

(a) the said imported goods (other than raw materials) shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods received and consumed in the place of manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the said imported goods in the premises of place of manufacture within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

TABLE

Sl. No.	Description of the components
(1)	(2)
1.	Carburettors
2.	Auto Electricals, namely :—
	(i) Starter Motor
	(ii) Alternator|Generator
	(iii) Voltage Regulator
	(iv) Wiper assembly including wiper motor
3.	Steering gear assembly including collapsible and powered steering gear; steering linkge tie rod ends and axle assembly
4.	Clutch Assemblies
5.	Dash Board Assemblies
6.	Engine
7.	Air Suspension Assembly
8.	Retarders (Electrical|Hydraulic)
9.	Water Pump|Thermostats
10.	Piston Assembly
11.	After burners for pollution control
12.	Air|Oil|fuel filter assemblies
13.	Auto bulb assemblies
14.	Fan Motors
15.	Mac Pherson struts
16.	Distributor Assembly.

Explanation.—For the purposes of this notification, "fuel-efficient four-wheeled cross-country vehicles", means.—

(i) in the case of a petrol driven four-wheeled cross-country motor vehicle, a motor vehicle which runs not less than 15 kilometres per litre of petrol; and

(ii) in the case of a diesel driven four-wheeled cross-country motor vehicle, a motor vehicle which runs not less than 20 kilometres per litre of diesel.

and certified accordingly by an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) on the basis of the tests (hereinafter referred to as the fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra) or the

Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra) having regard to the following, namely :—

(a) the fuel-efficiency test shall be conducted,—

(i) with a pay load of 500 kilograms, in the case of a petrol driven four-wheeled cross-country motor vehicle; and

(ii) with a pay load of 600 kilograms in the case of a diesel driven four-wheeled cross-country motor vehicle;

(b) the fuel-efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87 or diesel having a octane level of 42, as the case may be; and

(c) the fuel-efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the tests and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to + 25°C ambient temperature.

[F. No. B|25|4|92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1992

सं. 226/92—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 621 (अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1992 (1992 का 18) की धारा 111 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 194/92-सीमाशुल्क, तारीख 14 मई, 1992 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में,—

(i) क्रम सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"22क सं. 58—सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985";

(ii) क्रम सं. 70 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखितक्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"71 सं. 221—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1992

72 सं. 222—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1992

73. सं. 223—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1992

74 सं. 224—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1992

75. सं. 225—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1992"।

[फा. सं. बी 25/4/92-टी आर यू]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 19th June, 1992

NOTIFICATION

No. 226|92-CUSTOMS

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 111 of the Finance Act, 1992 (18 of 1992), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue) No. 194|92-Customs, dated the 14th May, 1992, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification,—

(i) after S. No. 22 and the entry relating thereto, the following S. No. and entry shall be inserted, namely :—

"22A. No. 58-Customs, dated the 17th March, 1985".

(ii) after S. N. 70 and the entry relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be added, namely :—

"71. No. 221-Customs, dated the 19th June, 1992

72. No. 222-Customs, dated the 19th June, 1992

73. No. 223-Customs, dated the 19th June, 1992

74. No. 224-Customs, dated the 19th June 1992

75. No. 225-Customs, dated the 19th June, 1992".

(F. No. B|25|92-TRU)

RAJIV SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992